न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) ,सीकर

उनवान सुप्यार कंवर बनाम दयाल सिंह आदि

किस्म मुकदमा.....प्रार्थना पत्र.....मुकदमा नं..... 38/2014

दिनांक	आज्ञा पत्र	
06.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीयागण ने आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फॅर्म करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा ग्राम अनोखू तहसील धोद विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 107, 108, 109 व 110 कुल किता 4 कुल रकबा 2.6200 है0 प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीयागण तथा अप्रार्थी संख्या 1 बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है उक्त वर्णित आराजियात मे प्रार्थीयागण एवं आप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज बालसिंह के खाते कब्जे की पैत्रक संम्पति की तथा उसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजियात में प्रार्थीयागण तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपना अपना हिस्सा 1/3 पर सदैव से काबिज काश्त होने के बावजूद उक्त अराजियात सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के गलत दर्ज हो गयी। प्रार्थीयागण द्वारा उक्त आवेदन में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से कृषि भूमि से बेदखल करने, विकय करने, रहन रखने या किसी प्रकार से स्थानान्तरित व प्रभारित करने से वाद के निस्तारण तक बाज रहने हेतु पांबद करने का अनुतोष चाहा गया था। वकील प्रार्थी आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के निस्तारण पर वकील उभयपक्ष सीधी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सारभूत तथ्यो से स्पष्ट है कि पर आदेशिका दिनांक 13.05.2014 द्वारा कृषि भूमि ख0नं0 107, 108, 109 व 110 कुल किता 4 कुल रकबा 2.6200 है0 वाके ग्राम अलोखू तहसील धोद जिला सीकर का विकय एवं अन्तरण नही करने के संबध में अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंध किया गया है। प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमियां वाके ग्राम अनोखू पटवार हल्का अनोखू तहसील धोद में अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थीयागण को वादग्रस्त भूमियो से अप्रार्थीगण कृषि भूमि से बेदखल करने, विकय करने, रहन रखने या किसी प्रकार से स्थानान्तरित व प्रभारित करनतथा अपनी कुचेष्टाओं में कामयाब हो गए तो प्रार्थीयागण के विधित अधिकारो पर कुठाराघात होकर अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना संभव नही हो पायेगा। इस प्रकार से प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का प्रार्थीयागण के पक्ष में साबित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वाके ग्राम अनोखू पटवार हल्का अनोखू तहसील धोद में अवस्थित विवादित कृषि भूमि ख0नं0 725, 728, 729, 732, 734, 121, 724, 82, 185 कुल किता 9 कुल रकबा 13.8700है0 का का विकय एवं अन्तरण नही करने के संबध में पांबध किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर यह फैसला दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	